

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/गृह विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांक: 04.01.2021 के तहत श्रीमती हेमन्त कुमारी राठौड, व्याख्याता, गृह विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, मण्डासी, नवलगढ़, झुंझुनू से सेठ रामकुमार सोमानी राबाउमावि, इस्लामपुर, झुंझुनू किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्रीमती हेमन्त कुमारी राठौड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1462/2021 हेमन्त कुमारी राठौड बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1462/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक: 08.02.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में श्रीमती हेमन्त कुमारी राठौड द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के लो विजन (अल्प दृष्टि) से ग्रसित होने एवं स्थानान्तरित विद्यालय 50 किलोमीटर दूर होने के आधार पर श्रीमती नानीबाई जैयपुरिया राउमावि, मण्डावा झुंझुनू में कार्यरत श्रीमती सुनीत, व्याख्याता गृह विज्ञान से पारस्परिक स्थानान्तरण करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 की अनुपालना एवं प्रस्तुत संयुक्त सहमति पत्र के आधार पर श्रीमती हेमन्त कुमारी राठौड, व्याख्याता गृह विज्ञान का समायोजन का सेठ रामकुमार सोमानी राबाउमावि, इस्लामपुर, झुंझुनू से श्रीमती नानीबाई जैयपुरिया राबाउमावि, मण्डावा झुंझुनू एवं श्रीमती सुनीत, व्याख्याता गृह विज्ञान का समायोजन श्रीमती नानीबाई जैयपुरिया राबाउमावि, मण्डावा झुंझुनू से सेठ रामकुमार सोमानी राबाउमावि, इस्लामपुर, झुंझुनू किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 24/02/21

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/हेमन्तकुमारी राठौड/1462/को.के/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर